



संख्या- 5168 / जी0एस0(शिक्षा) / A4-177 / 2021

प्रेषक,

रीना जोशी

कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 05 अक्टूबर 2026

महोदया,

कृपया अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 251008125703 के माध्यम से प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन मा० कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
सिक्स सिगमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, जफरपुर, रुद्रपुर	बी०फार्मा०	100	2025-26

(1) दिनांक 21.03.2024 को कुलपतिगण के साथ आहूत बैठक के दिशा-निर्देशों के क्रम में सत्र 2025-26 के लिए एम०फार्मा० एवं फार्मा०डी० पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सन्दर्भ में प्राप्ति राशि के मानक अपूर्ण है। मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हुए साक्ष्यों सहित आख्या राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जाये ताकि विश्वविद्यालय से निस्तारण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त इन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में तदनुसार निर्णय लिया जा सके।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

Digitally signed by

Reena Joshi

Date: 30-09-2026

12:48:14
(रेना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या- 5168 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-177/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
- ✓ 3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

Digitally signed by

Shri Laxman Ram Arya

Date: 30-09-2026

12:56:17
(लक्ष्मण राम आर्य)

कुलाधिपति के उप सचिव।